प्रेस वज्ञप्ति

ईएसआईसी की *नई अमनेस्टी योजना 2025* क्षेत्रीय निदेशक की न्यायलय रजिस्ट्रार के साथ बैठक

पटना, 24.09.2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के क्षेत्रीय निदेशक, सीए निरंजन कुमार ने आज व्यवहार न्यायालय (स वल कोर्ट), पटना के रजिस्ट्रार श्री धनंजय पाण्डेय एवं जिला व धक सेवा प्रा धकरण (DLSA) के स चव श्री पल्लवी आनंद से मुलाकात की और *नई अमनेस्टी योजना 2025* की जानकारी साझा की। कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम 1948 के अंतर्गत दायर मुकदमों की वापसी के लए सरकार द्वारा यह योजना लायी गयी है।
उन्होंने बताया की एमनेस्टी स्कीम 2025 एक एकमुश्त ववाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य अदालती मामलों के लंबित मामलों को कम करना और ईएसआई अ धनियम के अनुपालन को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी और 30 सतंबर 2026 तक वैध रहेगी, जिससे नियोक्ताओं को अदालत के बाहर समझौते के माध्यम से ईएसआईसी के साथ कानूनी ववादों को सुलझाने के लए एक सुव्यवस्थित तंत्र उपलब्ध होगा।वर्तमान में पटना जिले में लगभग **150** मामले लंबित हैं, जिनके निस्तारण हेतु यह योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है।

ईएसआईसी द्वारा उठाया गया यह स क्रय कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और नियोक्ताओं के लए अनुपालन को सरल बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एमनेस्टी योजना 2025 लंबे समय से लंबित मुकदमेबाजी को सुलझाने, कानूनी बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करती है। ये पहल एक साथ समावेशी वकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो हितधारकों के बीच वश्वास को बढ़ावा देती हैं और एक प्रगतिशील और उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा संस्थान के रूप में ईएसआईसी की भू मका को मजबूत करती हैं।

इसके साथ ही **SPREE 2025** योजना जो **01** जुलाई **2025** से **31** दिसम्बर **2025** तक लागू रहेगी। इस अव ध में नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं, जिस पर पूर्व अव ध की कोई जाँच या बकाया मांग लागू नहीं होगी। इस योजना के तहत, जो उद्योग और कर्मचारी अभी तक ईएसआईसी से जुड़े नहीं हैं, वे पुराने बकाये की मांग के बिना ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सु वधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

व्यवहार न्यायालय (स वल कोर्ट), पटना के रजिस्ट्रार एवं जिला व धक सेवा प्रा धकरण (DLSA) के स चव ने सहयोग का आश्वासन दिया।इस दौरान क्षेत्रीय निदेशक महोदय के साथ संयुक्त निदेशक , श्री मुकेश कुमार, श्री बीरेंद्र कुमार चौधरी, अधीक्षक व ध एवं श्री के. के. तिवारी, पैनल अ धवक्ता आदि भी मौजूद रहे।